



कार्यालय

वनमण्डलाधिकारी उत्तर (सामान्य) वनमण्डल, बालाघाट म.प्र.

e-mail : dfotnbghat@mp.gov.in

Telephone No. : (07632) 247044

क्रमांक/तक.अ./1827
प्रति,

बालाघाट, दिनांक 20/10/2023

अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक
(भू-प्रबंध)
वन भवन, लिंक रोड नं. 2,
तुलसी नगर भोपाल (म.प्र.)

विषय:-

बालाघाट जिले में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (RCPLWE) के अन्तर्गत भैसवाही से जल्दीदंड तक सड़क निर्माण कार्य किये जाने हेतु 9.912 हेक्टेयर वनभूमि (ऑनलाईन आवेदित 9.954 हेक्टेयर) म.प्र. ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण, बालाघाट को उपयोग पर देने बाबद।
(ऑन लाईन प्रकरण क्रमांक/FP/MP/ROAD/155407/2022)

संदर्भ :-

आपका पत्र पृष्ठा. क्रमांक/एफ-5/1254/2023/10-11/4442 दिनांक 05.10.2023

—00—

निवेदन है, कि विषयांकित संदर्भित पत्र द्वारा चाही गई वांछित जानकारी आवेदक विभाग-महाप्रबंधक, म.प्र. ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण परियोजना क्रियान्वयन ईकाई क्रमांक-1, बालाघाट द्वारा उनके पत्र क्रमांक/2450/तक./मप्रग्रासविप्रा/2023 दिनांक 13.10.2023 से इस कार्यालय को प्रेषित की गई है। अतएव प्रकरण में संदर्भित पत्र द्वारा चाही गई 10 बिन्दुओं पर जानकारी का विवरण निम्नानुसार है :-

क्रं.	बिन्दु	प्रतिवेदन
1	Alternative alignment of proposed diversion area is required. However, the proposed road is overlay on existing pathway shall be rectified/clarified.	दर्शित बिन्दु के अन्तर्गत लेख है कि मार्ग का निर्माण नक्सल प्रभावित क्षेत्र में भारत सरकार के गृह मंत्रालय (पत्र संलग्न) द्वारा स्वीकृत एवं पुलिस अधीक्षक बालाघाट द्वारा प्रस्तावित किया गया है। उक्त मार्ग का उपयोग पुलिस विभाग द्वारा सर्चिंग के लिए एवं आवागमन के लिए किया जाना है। उपरोक्त प्रकरण में प्रस्तावित सड़क के संबंध में अन्य कोई वैकल्पिक मार्ग उपलब्ध नहीं है।
2	Full KML file of layout plan of forest area and non forest area (Full project KML file) shall be submitted/ uploaded.	दर्शित बिन्दु के अनुसार मार्ग की सम्पूर्ण लंबाई की KML online पोर्टल के भाग 1 में फाईल अपलोड की गई है।
3	Detailed muck Calculation and muck disposal scheme as approved by concerned DFO shall be submitted.	दर्शित बिन्दु के अनुसार मार्ग में 2556 cum. मिट्टी कंटिंग तथा 2556 cum. का भराव किया जाना है शेष 5291 cum. मिट्टी वनक्षेत्र की सीमा के बाहर से लाया जाना है। परिशिष्ट -2 संलग्न है।
4	Justification for location of the project in forest land (counter signed by DFO) shall be submitted/uploaded.	दर्शित बिन्दु के अनुसार आवेदक विभाग महाप्रबंधक मध्यप्रदेश ग्रामीण सड़क प्राधिकरण बालाघाट एवं वनमंडलाधिकारी उत्तर सा. के संयुक्त हस्ताक्षर कर परिशिष्ट -3 संलग्न प्रेषित है।
5	No objection certificates of concerned department (WRD, TL,OFC etc) shall be submitted.	दर्शित बिन्दु के संबंध में लेख है, कि मार्ग के एकरेखण में WRD, TL से संबंधित केनॉल, पाईप लाईन नहीं है। ना ही मार्ग को क्रास कर रही है। उक्त प्रकरण केन्द्र प्रयोजित योजना नक्सल प्रभावित मार्ग के निर्माण

	CA scheme and KML file of CA area of 30.00 ha of degraded forest land shall be uploaded.	हेतु अनापत्ति पत्र की आवश्यकता नहीं है। दर्शित बिन्दु के संबंध में लेख है, कि प्रस्तावित आरडीएफ क्षेत्र की वैकल्पिक वृक्षारोपण की योजना की KML file Online part-1 में अपलोड कर दी गई है।
7	Administrative approval/Sanction letter of project shall be submitted.	दर्शित बिन्दु के अनुसार अपलोड किया गया है। परिशिष्ट -4 संलग्न है।
8	As per DSS analysis some part of forest area does not included in Proposal shall be rectified.	दर्शित बिन्दु के अनुसार संशोधित KML file Online part-1 में अपलोड किया गया है।
9	As per DSS analysis the proposed area is 7.09 km away from Kanha Tiger Reserve. Comments of CWLW shall be submitted.	दर्शित बिन्दु के संबंध में लेख है, कि इस संबंध में वन्य प्राणी अभिमत की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।
10	Since number of proposal are submitted for construction of various roads in Balaghat District, consolidated area of which exceeds 40 ha, the said sites shall be inspected by concerned CF/CCF as well and SIR shall be submitted.	प्रस्ताव में निरीक्षण के उपरांत ही इस प्रस्ताव को प्रस्तावित किया गया है।

ज्ञन :- उपरोक्तानुसार।

(अभिनव पल्लव)
मा.व.से.

वनमण्डल अधिकारी

उत्तर वनमण्डल (सा.प्र.) बालाघाट

बालाघाट, दिनांक 20/10/2023

गं. क्रमांक/तक.अ./1828
लिपि :-

- वन संरक्षक, बालाघाट वनवृत्त (म.प्र.) की ओर उपरोक्त विषयांकित संदर्भित पत्र जो आपकी ओर पृष्ठांकित प्रेषित है, के तारतम्य में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु सम्प्रेषित।
- आवेदक विभाग- महाप्रबंधक, म.प्र. ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण, परियोजना क्रियान्वयन ईकाई क्रमांक-1, बालाघाट, की ओर उपरोक्त विषयांकित संदर्भांकित संबंध में आपके द्वारा प्रेषित जानकारी के तारतम्य में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

वनमण्डल अधिकारी

उत्तर वनमण्डल (सा.प्र.) बालाघाट
बालाघाट